बिहार सरकार
<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 184202 पटना, दिनांक 30/4/14
ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(किस्त)-102-21/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी,</u>
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **इंदिरा आवास योजनान्तर्गत दिनांक 01.04.14 को उपलब्ध अवशेष राशि के त्वरित उपयोग के संबंध में ।**

महाशय,

राज्य के अधिकांश जिलों को वर्ष 2013-14 की केन्द्रांश एवं राज्यांश की द्वितीय किस्त की विमुक्ति पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम त्रैमास में हुई है । समीक्षा से यह ज्ञात होता है कि सभी जिलों में दिनांक 01.04.14 को बड़ी राशि अवशेष एवं उपलब्ध है ।

2. भारत सरकार से वर्ष 2014-15 का लक्ष्य संसूचन की प्रक्रिया चल रही है । लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वर्ष 2014-15 में नये लाभान्वितों का चयन नहीं किया जा सकता है । इस पृष्ठभूमि में 01.04.14 को उपलब्ध अवशेष निधि का उपयोग, पूर्व वित्तीय वर्ष/वर्षों के चयनित लाभान्वितों को द्वितीय / अग्रेतर किस्त के भुगतान हेतु किया जाय । अनेकों लाभान्वित द्वितीय किस्त की पात्रता प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उन्हे विविध कारणों से निधि विमुक्त नहीं हो पायी है ।

3. वर्ष 2013-14 के लिए विभागीय पत्रांक-181446 दिनांक-25.03.14 द्वारा यह भी प्रावधान किया गया है कि जिन लाभान्वितों ने छत ढलाई तक का कार्य पूर्ण कर लिया है, लेकिन शौचालय का कार्य लंबित है उन्हें द्वितीय किस्त के रूप में रूपये 10,000 रूपये दे दिया जाय जिससे वे शौचालय का निर्माण करेंगे एवं तदोपरान्त तृतीय किस्त दी जायेगी ।

4. यह आवश्यक है कि तृतीय / अंतिम किस्त का भुगतान शीघ्र किया जाय ताकि लंबित आवासों की भौतिक रूप से पूर्णता सुनिश्चित हो सके ।

विश्वासभाजन

29/4/14
(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

E:\D Drive\Mukesh\IAY 1028.doc